<u>दिनांक 21.08.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलार्थी नीरज सिंह की ओर से जुर्माने का 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने की कार्यवाही स्थगित कर अन्य तिथि नियत किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र 14 ख यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में वह विषम परिस्थितियों में है। उत्तरदाता/प्रतिवादी अनिल कुमार सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि सत्र न्यायालय ने दिनांक 28.05.2025 को अपीलार्थी/अभियुक्त नीरज सिंह पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 20 प्रतिशत धनराशि तीस दिवस के भीतर अपीलीय न्यायालय में जमा करने का आदेश किया था, परन्तु अपीलार्थी की ओर से उक्त धनराशि को जमा न कराकर दिनांक 27.06.2025 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा तीस दिन का अतिरिक्त समय उस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि भविष्य में कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा, परन्तु अपीलार्थी नीरज सिंह के द्वारा आज तक भी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी नीरज सिंह अपीलीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का इच्छुक नहीं है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 14 ख आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध बसूली कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतन्त्र है। अपील सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2025 को पेश हो। अपीलार्थी धारा-437 ए की अनुपालना में मु०-25,000-25,000/- रुपये के दो जमानती एवं पी०बी० नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-1, गोरखपुर